

7-4-2022

वकील वारी अपालित। वारी की ओर से वकील वारी ने प्रा. पत्र अन्तर्गत 023 R-1 CPC का पेश कर वार विद्ही हेतु निवेदन किया। वारी का प्रथमापत्र स्वीकार कर वार वारी विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 88 RMA जारी से विद्ही श्रांशीज किया जाता है। (वारी ने प्रा. पत्र में निवेदन किया कि वह वार में संशोधन कर नया वार पेश करेंगे, जिस हेतु वारी विंतंत्र पत्रावली फेमल शूमार नम्बर से कम हो, काबिल दफ्तर हो।



सहायक  
(S.D.O.)

